

संख्या- 913 / 11(2) / 15-03(MO)(010) / 2014

प्रेमक,
अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक: 17 मार्च, 2015

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- गा0 मुख्यामंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्या अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा गा0 मुख्यामंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध गये गये विभिन्न 11 कार्यों के प्रारम्भिक आमणनों, जिनकी कुल लम्बाई 64.00 किमी0 तथा लागत ₹ 924.91 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 924.91 लाख (र नौ करोड़ चौबीस लाख इक्कागवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 11 कार्यों हेतु ₹ 1.10 लाख (र एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उपर्युक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तत्पश्चात् शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आमणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जा दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर खर्च ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत मणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

(v)- आमणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्सीरमेंट रूल्स-2008 एवं सूक्त के विषय में समय समय पर निम्न समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निम्न आदेशों का कार्य कराते समय या आमणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- खर्चानुसार स्वीकृत आमणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, गृहिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में व्यावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 मूल्य निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

शासनादेश संख्या- 913 / 111(2)/15-03(MO)0000/2014 दिनांक 17 मार्च, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी. में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-502/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत लममड़ा से ठाठ गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-509/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक-भाबू मोटर मार्ग से ग्राम बवेला-सुरखाल निरखी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	50.98 (₹ 35.10 लाख + ₹ 15.88 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-507/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से जामेश्वर से नीली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-508/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से कस्याल बैण्ड से तल्ला गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-506/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो टांडा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	42.48 (₹ 29.25 लाख + ₹ 13.23 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-505/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैती के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-504/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत निरानी से कल्यासो मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	16.99 (₹ 11.70 लाख + ₹ 5.29 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-510/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जामेश्वर के अन्तर्गत ऐरोली-गोरपटखूड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	50.98 (₹ 35.10 लाख + ₹ 15.88 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

P. Ch. A. H. A.

सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय खण्ड, लो. नि. वि.

अल्मोड़ा